FORM 'A 2'
ACKNOWLEDGEMENT
{See Clause 8(3)}

Letter No- 15/उ०/रसा० अनु०-09/2018 721 /Agri., Patna, Dated 8-6-2018

Received from M/s **Shanmukha Agritec Ltd.** a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2250 by Treasury Challan bearing number 00056 Dated 12-04-2018 deposited in State Bank of India, Bailey Road, Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied (as mentioned in table below) for a period 3 years from date of issue unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated..............

Sd/-
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna
Date..............

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- 2-36

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s Shanmukha Agritec Ltd. Style- Wholesale Dealer	C/o Satish Kumar, Opp- Premalok Mission School, At+po-Bairiya, Ps-Gopalpur, Dist-Patna, Bihar- 7	C/o Satish Kumar, Opp- Premalok Mission School, At+po-Bairiya, Ps-Gopalpur, Dist-Patna, Bihar- 7	1-Micronutrients Mixture Grade I, II, IV & VI 2-Boron 10.5% 3-Zinc Sulphate Heptahydrate 21% 4-Magnesium Sulphate 9.6% 5-Chelated iron Fe EDTA 12% 6-Boron 20%	M/s Shiva Shakti Bio-technologies Ltd.

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:
Mr. Bashist Muni (Assistant Manager)
M/s Shanmukha Agritec Ltd.
Khata NO- 880, Plot No- 507, Thana No- 122
Mauza Manpur, Bairiya, Dist- Patna Bihar.

7-6-18

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

Memo No.......721
/Agri., Patna, Dated 8-6-2018

Copy forwarded to All Joint Directors of Agriculture & District Agriculture Officers for kind information and necessary action.

7-6-18

Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

Amit Kr.
Assistant

Sanjay kumar
Joint Director (Agro)

E:\Amit Ji\2017\Form A2.docx67

(135) (146)

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना
उर्वरक प्रशाखा

पत्र संख्या–15/उ0 /रसा00 अनु0– 09 / 2018 722 / कृ0, पटना, दिनांक 8-6-2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मे0 शनमुखा एग्रीटेक लि0
C/o सतीश कुमार
S/o किशुनदेव प्रसाद,
Opp- प्रेमलोक मिशन स्कूल, ग्राम+पो0– बैरिया
थाना– गोपालपुर, जिला– पटना–7, बिहार।

विषय : **उर्वरक विपणन प्राधिकार पत्र एवं आवश्यक शर्तो के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके विपणन प्राधिकार पत्र संख्या–236 दिनांक 08/06/2018 वैधता तिथि 07/06/2021 को निर्गत किया जाता है। इस सन्दर्भ मे निम्न निदेश दिए जाते हैं :–

1. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन किया जाएगा।
2. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेगें।

यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक : पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 की प्रति।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 7.6.18
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 722 दिनांक : 8-6-2018

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित उर्वरको का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(हस्ताक्षर) 7.6.18
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

(अमित कुमार) सहायक

(संजय कुमार) संयुक्त निदेशक (शष्य)